न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) कठूमर

पीठासीन अधिकारी श्री भानु प्रताप सिंह आर टी एस

प्रकरण संख्या 01/2025

1. लखनो देवी पत्नी हरिकृष्ण जाति मीना निवासी डयोठाना तहसील कठूमर जिला अलवर

प्रार्थीया

बनाम

1. बलजीत पुत्र लक्ष्मण जाति जाट निवासी डयोठाना तहसील कठूमर
2. पप्पू पुत्र बलजीत जाति जाट निवासी डयोठाना तहसील कठूमर
3. रमेश पुत्र बलजीत जाति जाट निवासी डयोठाना तहसील कठूमर जिला अलवर

अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम.

उपस्थित– गिरधारीलाल शर्मा– अधिवक्ता प्रार्थीया

रामजीलाल शर्मा– अधिवक्ता अप्रार्थीयान

निर्णय **दिनांक 09.02.2026**

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 201 रकवा 1.02 हे0 ग्राम डयोठाना तहसील कठूमर में स्थित है जो आराजी प्रार्थीया व अन्य सहखातेदारान से बहामी वंटवारा में प्रार्थीया को प्राप्त हुई है। प्रार्थीया उक्त आराजी की तन्हा काबिज कृषक खातेदार है। अप्रार्थीयान का उक्त आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। प्रार्थीया गरीब व एस टी समुदाय की महिला है जवकि अप्रार्थीयान दबंग किस्म के सवर्ण जाति के व्यक्ति है। अप्रार्थीयान ने बिना किसी हक व अधिकार के खसरा नम्बर 354 वाके ग्राम डयोठाना तहसील कठूमर व प्रार्थीया की खसरा नम्बर 210 वाके ग्राम डयोठाना पर कब्जा कर लिया था जिस नाजायज कब्जे को श्रीमान के कार्यालय आदेश दिनांक 10.12.2024 की पालना में खसरा नम्बर 354 से कब्जा [illegible] लिया गया था लेकिन अप्रार्थीयान द्वारा जो खसरा नम्बर 201 पर नाजायज कब्जा 20 बाई 27 [illegible] रखा है उसे नहीं हटवाया गया है जिस नाजायज कब्जे से प्रार्थीया को भारी परेशानी हो [illegible] अप्रार्थीयान दबंग व सवर्ण जाति के लोग है जो उक्त आराजी से राजी खुशी कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanu Pratap Singh
Date: 2026.05.19 12:31:58 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार कठूमर, अलवर

कारण अप्रार्थीयान द्वारा खसरा नम्बर 201 पर किए गए नाजायज कब्जे को ध्वस्त कराकर प्रार्थीया को दखल दिलाया जाना जरूरी है जिस हेतु प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान को तलब किया गया। अप्रार्थीयान ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 201 प्रार्थीया और सहखातेदारों की आराजी है जिस आराजी में प्रार्थीया का कितना हिस्सा है स्पष्ट नहीं किया है। प्रार्थीया व अन्य साझीदारान के मध्य बहामी वंटवारा कब हुआ इस सम्बन्ध में प्रार्थीया ने कोई सहमति पत्र या दस्तावेज पेश नहीं किये है। प्रार्थीया के पास उक्त आराजी कहां से आई इसके बारे में भी स्पष्ट नहीं किया है। नपत 27 बाई 20 फुट भूमि आराजी खसरा नम्बर 201 का भाग ना होकर अप्रार्थीयान की पैत्रिक एंव बुजुगानी भूमि है जिस पर अप्रार्थीयान को पूर्वजों के समय से कब्जा है। जिस पर अप्रार्थीयान काबिज रहकर उपयोग एंव उपभोग कर रहे है चार दीवारी कर रखी है पशुओं को बांधने के लिये खूंटे गाढ रखे है लडाबनी बना रखी है उक्त आराजी आबादी भूमि है प्रार्थीया ने तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थीया ने नपत 27 बाई 30 फुट जमीन को खसरा नम्बर 354 गै0मु0 रास्ता पर अवेध कब्जा बताकर एक सिविल वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश कठूमर के न्यायालय में पेश कर रखा है जिसमें प्रार्थीया ने अप्रार्थीयान को गै0मु0 रास्ते की जमीन पर अतिकमण माना है जिसके साथ प्रार्थीया ने मोके का नक्शा भी पेश किया है कानूनन एक ही विवादित जायदाद वावत दो न्यायालयों में समानान्तरण कार्यवाही नहीं की जा सकती है सिविल वाद के तथ्य को प्रार्थीया ने छुपाया है। जिस कारण प्रार्थना पत्र की अग्रिम कार्यवाही सिविल न्यायालय के निर्णय तक रोका जाना जरूरी है। तमाम तथ्य गलत है इस वजह से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी हाल, मौका पर्चा दिनांक 11.12.2024 की सत्यप्रतिलिपी तथा नजरी नक्शा तथा माननीय सिविल न्यायाधीश कठूमर में विचाराधीन मुकदमा लखनोदेवी बनाम बलजीत [illegible] की दिनांक 02.02.2026 की आदेशिका की सत्यप्रतिलिपी पेश की है जो [illegible] पत्र [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanu Pratap Singh
Date: 2026.05.19 12:31:58 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार कठूमर, अलवर

पत्रावली पर रिपोर्ट पटवारी हल्का सहाडी दिनांक 03.02.2025 जिसमें पटवारी हल्का ने आराजी खसरा नम्बर 201 प्रार्थीया व अन्य साझीदारान की खातेदारी में दर्ज होना जाहिर किया है तथा खसरा नम्बर 201 ग्राम डयोठाना के द0पूर्व कोने पर एक बाडा बना हुआ अंकित किया है तथा ग्रामीणों के बताये अनुसार बलजीत पुत्र लक्ष्मण जाति जाट निवासी डयोठाना के द्वारा निर्मित किया जाना एंव इस बाडा का प्रयोग ईंधन, बडीता एंव पशु बांधने के लिये किया जाना जाहिर किया है। दिनांक 17.12.2025 को पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट जो पटवारी हल्का ने दिनांक 18.12.2025 को अदालत हाजा में पेश की है जो संलग्न पत्रावली है जिसमें पटवारी हल्का ने प्रार्थी व अन्य सामान्य सहखातेदारों के नाम होने के कारण प्रार्थी व अप्रार्थी हिस्सा कब्जा की स्थिति बताया जाना संभव नहीं है जाहिर किया है। इस कार्यालय के पत्र कमांक रीडर/2025/ 1203–05 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा पटवारी हल्का से निम्न दो विन्दुओं पर जांच रिपोर्ट तलब की गयी। (1) प्रकरण में यह जांच आवश्यक है कि आराजी खसरा नम्बर 201 ग्राम डयोठाना में अप्रार्थी बलजीत पुत्र लक्ष्मण जाति जाट, पप्पू पुत्र बलजीत जाति जाट रमेश पुत्र बलजीत जाति जाट खातेदार है अथवा नहीं? (2) प्रकरण में यह जांच आवश्यक है कि आराजी खसरा नम्बर 201 ग्राम डयोठाना में अप्रार्थी बलजीत पुत्र लक्ष्मण जाति जाट, पप्पू पुत्र बलजीत जाति जाट रमेश पुत्र बलजीत जाति जाट का कोई कब्जा है अथवा नहीं?

दोनों विन्दुओं पर पटवारी हल्का ने जांच कर जांच रिपोर्ट दिनांक 06.01.2026 को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है

(1) खसरा नम्बर 201 ग्राम डयोठाना में बलजीत पुत्र लक्ष्मण, पप्पू पुत्र बलजीत व रमेश पुत्र बलजीत जाति जाट की राजस्व रिकार्ड के अनुसार खातेदारी दर्ज नहीं है।

(2) उक्त आराजी खसरा नम्बर 201 ग्राम डयोठाना में बलजीत पुत्र लक्ष्मण, पप्पू, रमेश पुत्रान बलजीत जाति जाट द्वारा कोई काश्त नहीं की जा रही है तथा उक्त खसरा नम्बर 201 की दक्षिण–पूर्वी कोने में लगभग 30 बाई 16 फुट का बाडा बना हुआ है जो कि काफी पुराना प्रतीत होता है पर कब्जा है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीयान ने अपने तर्को के समर्थन में कानूनी नजीर 2017(1) RRT 228 बोर्ड ऑफ रेवन्यु फोर राजस्थान, अजमेर की छायाप्रति प्रस्तुत की है जो शामिल पत्रावली है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanu Pratap Singh
Date: 2026.05.19 12:31:58 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार कठूमर, अलवर

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड पटवारी हल्का की मौका पर्चा रिपोर्टो का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से यह सही है कि खसरा नम्बर 201 प्रार्थीया लखनो देवी व अन्य साझीदारान की खातेदारी की आराजी है तथा प्रार्थीया अनु0 जनजाति की महिला है जवकि अप्रार्थीयान जाट जाति में सवर्ण जाति के व्यक्ति है। अप्रार्थीयान का तर्क रहा कि उक्त आराजी अप्रार्थीयान की बुजुर्गानी कब्जे एंव स्वामित्व की आबादी भूमि है लेकिन अप्रार्थीयान ने इसके समर्थन में कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया, पटवारी हल्का ने अपनी जांच रिपोर्ट में अप्रार्थीयान की खातेदारी दर्ज नहीं होना व अप्रार्थीयान का कब्जा होना जाहिर किया है। अप्रार्थीयान स्वंय ने भी अपने जवाव प्रार्थना पत्र में अपना कब्जा स्वीकार किया है। जहां तक कानूनी नजीर का प्रश्न है एक ही प्रकरण में दो न्यायालयों में समानान्तरण कार्यवाही नही चल सकती, अप्रार्थीयान ने माननीय सिविल न्यायाधीश कतूमर की दिनांक 02.02.2026 की आदेशिका प्रस्तुत की है जिसके अनुसार सिविल वाद माननीय न्यायालय से खारिज हो चुका है। अतः प्रकरण के सम्बन्ध में मौजूदा प्रकरण ही विचाराधीन है अन्य कोई प्रकरण दर्ज नहीं है इस वजह से विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। अतः वादग्रस्त पर अप्रार्थीयान का कब्जा अवेध प्रतीत होता है। प्रार्थीया अनु0 जनजाजति की महिला है। कानूनन अप्रार्थीयान को प्रार्थीया की भूमि से अप्रार्थीयान को वेदखल कर प्रार्थीया को कब्जा दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो पटवारी हल्का सहाडी व भू0अ0निरीक्षक भनोखर प्रार्थीया की आराजी खसरा नम्बर 201 वाके ग्राम डयोठाना तहसील कतूमर से अप्रार्थीयान को भौतिक रूप से बेदखल कर प्रार्थीया को नियमानुसार कब्जा संमला कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

आज दिनांक 09.02.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भानुप्रताप सिंह
तहसीलदार कतूमर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanu Pratap Singh
Date: 2026.05.19 12:31:58 IST
Reason: SelfAttested